कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ADB राजसमन्द जिला राजसमन्द

— प्रतिभूति लेनदार

बनाम

मैसर्स मॉर्डन मेवाड साफा हाउस, प्रो0 श्रीमती खुशबु कंवर, पुत्री श्री फतेह सिंह
पता जल चक्की चौराहे के पास, कांकरोली, जिला राजसमन्द 313324
पता उपला नोहरा परावल, बागोल, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द 313301

— अप्रार्थीगण / ऋणी / जमानतदार

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 33 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 31.07.2024 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, ADB शाखा राजसमन्द ने दिनांकः 10.07.2024 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ने मैसर्स मॉर्डन मेवाड साफा हाउस, प्रो0 श्रीमती खुशबु कंवर, पुत्री श्री फतेह सिंह पता जल चक्की चौराहे के पास, कांकरोली, जिला राजसमन्द 313324 पता उपला नोहरा परावल, बागोल, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द 313301 को रूपये 7,00,000 / – का दिनांक 04.01.2023 को ऋण स्वीकृत किया था इस हेतु ऋणी / ऋणियों / जमानतदारों ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादित किये थे। उक्त ऋण राशि निम्न परिसम्पत्तिं, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है :– चल सम्पत्ति :– <u>Hypothecation of stock,</u> पत्ता जल चक्की चौराहे के पास, कांकरोली, जिला राजसमन्द 313324। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने मे असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक के द्वारा नियमानुसार दिनांक 30.03.2024 को अनर्जक परिसम्पति (NPA) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने दिनांक 24.04.2024 को मांग नोटिस वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेज करके 60 दिन मे ऋण राशि रूपये 7,34,135 / – दिनांक 04.04.2024 तक एवं इसके पश्चात के ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मांग की। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रतिभूत आस्ति को अपने कब्जे या नियत्रंण मे लेकर प्रतिभूति लेनदार (बैंक) को सुपुर्द करने का अधिकार प्राप्त है। सम्पति का उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करना अति आवश्यक है। भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ADB राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार विपक्षी ऋणी मैसर्स मॉर्डन मेवाड साफा हाउस, प्रो0 श्रीमती खुशबु कंवर, पुत्री श्री फतेह सिंह पता जल चक्की चौराहे के पास, कांकरोली, जिला	

न्यायालय जिला कलक्टर

राजसमन्द 313324 पता उपला नोहरा परावल, बागोल, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द 313301 की चल सम्पत्ति :– Hypothecation of stock, पत्ता जल चक्की चौराहे के पास, कांकरोली, जिला राजसमन्द 313324।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ADB राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, शाखा ADB राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. भंवर लाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)